फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

पेम्पाराम वगैरा बनाम अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 32/16 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.01.17	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल सोहड़ा में आई हुई है। प्रार्थी की भूमि में विप्रार्थीगण सड़क का निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 15/03/2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल सोहड़ा के खसरा नम्बर 153/119 रकबा 07.11 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का सड़क का निर्माण नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं करें, तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 15/03/2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

15/03/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हस्ब तामील अप्राप्त। विप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। जिनकी ओर से जवाब व मय निशानदेही की रिपोर्ट ख० नं० 165/21 व 163/12 की पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, प्रार्थी के ख० नं० 153/119 रकबा - 07.11 बीघा की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार गिड़ा को तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 22/03/17 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

22/03/17 प्रार्थी वकील व विप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हस्ब तामील अप्राप्त। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 14/07/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

14/07/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील उक्त स्थगन आवेदन आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी वकील द्वारा उक्त आवेदन Not press किया गया। अतः प्रार्थी का आवेदन Not press में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। Not press by me [signature] 14/7/17

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु